भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **4024**
दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 / 21 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई यात्रा हेतु चेहरे के आधार पर बायोमैट्रिक पहचान

4024. श्री टी.आर. पारिवेन्धर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने हाल ही में तीन महीने के परीक्षण के आधार पर टर्मिनल-3 पर 'बायोमैट्रिक-संचालित निर्बाध यात्रानुभव प्रणाली (बीईएसटी)' के अंतर्गत चेहरे की पहचान से चैक-इन (फेस-चैक इन) की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीईएसटी पर यात्रियों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या इस प्रकार की सुविधा देश भर में अन्य सभी टर्मिनलों और हवाई अड्डों में शुरू की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) तथा (ख): दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डॉयल) द्वारा हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली के टर्मिनल – III पर डिजी यात्रा योजना के अंतर्गत बॉयोमैट्रिक एनेब्ल्ड सिमलैस ट्रैवल (बीईएसटी) की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में यह पायलट परियोजना एवं इसके पूर्वाभ्यास कुछ सीमित उड़ानों के लिए प्रारंभ किए गए हैं। अब तक 2605 यात्रियों का पंजीकरण कर लिया गया है। डिजी यात्रा की प्रक्रिया नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारतीय हवाईअड्डों पर यात्रियों के लिए प्रारम्भ की गई चेहरे की पहचान समर्थित ई-बोर्डिंग व्यवस्था है तथा इससे निर्बाध यात्रा संभव हो पाती है तथा पंक्ति में लगने वाले समय की बचत होती है।

(ग): कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, वाराणसी, हैदराबाद, बंगलुरू, कोच्चि, मुम्बई तथा दिल्ली स्थित हवाईअड्डों को प्रथम चरण में शामिल किया गया है।

*****